

किशनलाल बनाम सरकार
प्रकरण संख्या 78/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल में
जारी हुये

20.3.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। स्टेट जबाब प्राप्त हुआ। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड जमाबन्दी बरमसर खाता सं. 81, फोटोप्रति जनआधारकार्ड, बैंक खाता पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम किशनलाल पुत्र कुम्भाराम है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए रोही मौजा रामकां के खाता सं. 206/77 के ख.नं. 1032, 833, 834/1, 936/2, 937/3, 948, 981, 987/2, 989 की 21.794 है. में से 1/9 हिस्सा कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम कृष्णलाल पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर किशन लाल पुत्र कुम्भा राम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.3.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Om
सहायक क्लर्क एड
सुपरवण्ड अधिकारी
रावतसर

